

बनाम रामलाल वगैरा राजाराम वगैरे

किस्म मुकदमा 21529/31457 नं. 206/19 सन 2019

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
20/6/19	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>कुशमणि ह चौधरी</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 128</u></p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>17/7/19</u> को पेश हो।</p>	
17/07/19	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोडिस तामील <del>कर</del> हुआ जात जिसे आपील पत्रावली द्वारा गया। सीमागत सीमागत अधिकारी द्वारा प्रार्थी के पत्रावली होने के सिवाय इलाका होकर आगामी दिनांक 16/10/19 को पेश हो।</p>	
16/10/19	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों वाकजुड तामील अनु उपस्थित। न्यायालय समक्ष तीन बार आवाज लगाई गई प्रथम आवाज 5.45 PM पर लगाई गई विप्रार्थीगण स्वयं मा उनको फोट ले कोई अधिकृत उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनके विरुद्ध एडतरफा कामगारी कमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिकृत की एडपलीक बरस सुनी गई, प्रार्थी के अधिकृत डाटा निवेदन दिया गया है प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के मध्य घेत है सीमागतों को लेकर हर समय बिकार है</p>	

लिखित बनी रहती है। इसलिए जारी कराने के लिए  
की पंजी नैष्किकनी डरवाने हेतु यह नैष्किकनी  
कावेदन प्रेषित किया है। इसलिए जारी कराने के लिए  
नैष्किकनी कावेदन को स्वीकार किया जाकर नैष्किक-  
नीष्किकनी कावेदन किया जावे।

अतः जारी कराने के लिए नैष्किकनी  
कावेदन को स्वीकार किया जाकर तदनुसार कावेदन को  
डिमिशन निशुल्क किया जाता है व कावेदन किया जाता  
है कि कावेदन स्वयं या अपने अधिकार क्षेत्र में भी भू-सम-  
लेख निरीक्षण से जारी के आवेदन के लिए की पंजी  
नैष्किकनी कावेदन पर डिमिशन शुल्क जमा कराया है।  
पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली दी।  
कावेदन अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली दी।  
पत्रावली केसल अगुआ डॉटर इज नम्बर से उप ही  
दाखिल रहता है।

16/10/2019

नामब तहसी  
राजपुरी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/बाद/2019/ 736

दिनांक:- 16/10/19

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
रामलाल पुत्र रूगनाथराम जाति जाट वगैरा 2 निवासी धारासर का तला, बायतु भीमजी तहसील बायतु जिला बाडमेर		ताजाराम पुत्र निम्बाराम जाति जाट वगैरा 9 निवासी धारासर का तला, बायतु भीमजी तहसील बायतु जिला बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 206/2019

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा धारासर का तला पटवार हल्का बायतु भीमजी तहसील बायतु जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 684 रकबा 33.05 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें। एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखबन्दी करा सकता है। लियाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 भू,रा,अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है व तहसीलदार बायतु को कमिश्नर व सम्बंधित भू अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कमिश्नर स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबन्दी मौके पर निर्धारित कमिश्नर शुल्क रूपये 500/- जमा करा कर करें। एवं पालना रिपोर्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश वसरे इजलास सुनाया गया।



क्रमांक/बाद/2019/ 737-41

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी बायतु भीमजी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री रामलाल पुत्र रूगनाथराम वगैरा
4. विप्रार्थीगण ताजाराम पुत्र निम्बाराम वगैरा
5. थाना अधिकारी पुलिस थाना बायतु

*(Signature)*  
 उपखण्ड अधिकारी बायतु  
 दिनांक:- 16/10/19

*(Signature)*  
 उपखण्ड अधिकारी बायतु  
 दिनांक:- 16/10/19

